



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 22, 2019/चैत्र 01, 1941

No. 108]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2019/CHAITRA 01, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22 मार्च, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/03—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त (लागू) होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में, -
 - (i) अनुसूची V में, फीस के प्रभार से संबंधित भाग ख में, खंड 3 में, उप-खंड (1) में दी हुई सारणी निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,—

खंड (सेगमेंट)	दर / रकम (₹ में)			टिप्पणियाँ
	स्टॉक दलाल	समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर)	स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर)	
नकदी (कैश)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00010 प्रतिशत (₹ 10 प्रति करोड़)	*	*	ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) से भिन्न प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में विक्री तथा खरीद के समस्त लेनदेन (संव्यवहार/ ट्रांज़ैक्शन)।
इक्विटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00010 प्रतिशत (₹ 10 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	स्पष्टीकरण —(क) शब्द "व्यापारावर्त" के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित खंड (सेगमेंट) में स्टॉक दलाल द्वारा किए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड्स) का और संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) की समाप्ति पर निपटाए गए व्यापारों (सौदों/ ट्रेड्स) का मूल्य शामिल होगा। (ख) ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदाओं) के मामले में, "व्यापारावर्त" (टर्नओवर) की गणना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम (प्रीमियम ट्रेडिड) के आधार पर की जाएगी और जहाँ ऑप्शन का प्रयोग आदि किया जाए, वहाँ अतिरिक्त रूप से इसकी गणना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स (जिनका प्रयोग आदि हुआ हो) के आनुमानिक मूल्य (नोशनल वैल्यू) के आधार पर की जाएगी।
मुद्रा व्युत्पन्नी (करंसी डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00010 प्रतिशत (₹ 10 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	
ब्याज दर व्युत्पन्नी (इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00005 प्रतिशत (₹ 5 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	
कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00010 प्रतिशत (₹ 10 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	स्पष्टीकरण —(क) शब्द "व्यापारावर्त" के अंतर्गत संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक दलाल द्वारा किए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड्स) का और संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) की समाप्ति पर निपटाए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड्स) का मूल्य शामिल होगा। (ख) ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदाओं) के मामले में, "व्यापारावर्त" (टर्नओवर) की गणना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम (प्रीमियम ट्रेडिड) के आधार पर की
कृषि कमोडिटी व्युत्पन्नी (एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00001 प्रतिशत (₹ 1 प्रति करोड़)			

				जाएगी और जहाँ ऑप्शन का प्रयोग आदि किया जाए, वहाँ अतिरिक्त रूप से इसकी गणना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स (जिनका प्रयोग आदि हुआ हो) के आनुमानिक मूल्य (नोशनल वैल्यू) के आधार पर की जाएगी।
ऋण (डेट)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00002 प्रतिशत (₹2 प्रति करोड़) स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द "व्यापारावर्त" के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ऋण खंड (डेट सेगमेंट) में स्टॉक दलाल [जिसमें सांपत्तिक व्यापारिक सदस्य (प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेम्बर) शामिल हैं] द्वारा किए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड्स) [जिनमें विक्री तथा खरीद दोनों लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) शामिल हैं] का कुल मूल्य शामिल होगा।	50,000/-	50,000/-	फीस समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर) या स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर) के लिए लागू नहीं होगी, यदि उक्त समाशोधन सदस्य या स्व-समाशोधन सदस्य पहले ही से किसी अन्य खंड (सेगमेंट) में समाशोधन सदस्य या स्व-समाशोधन सदस्य हो और ऐसे खंड के लिए फीस (जैसा इस भाग में निर्धारित है) अदा कर रहा हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 में,—

(i) विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में, सारणी में, क्र.सं. 5 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

क्र.सं. (1)	वार्षिक व्यापारावर्त (करोड़ रुपये में) (2)	फीस की रकम (₹.) (3)
5.	10,00,000 से अधिक	₹1,00,00,000 और ₹10,00,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.000012 प्रतिशत

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, अनुसूची-III में, खंड (2) में,—

(i) उप-खंड (क) में दी हुई सारणी निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,—

निर्गम (इश्यू) का आकार [जिसमें अति-अभिदान (ओवर सब्सक्रिप्शन) का वह हिस्सा भी शामिल है जितना रखे जाने का इरादा हो]	पहली बार फाइल करने (फ्रेश फाइलिंग) हेतु फीस की रकम / दर	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अभिमत पत्र (संप्रेक्षण पत्र / ऑब्जर्वेशन लेटर) की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर फाइल करने हेतु फीस की रकम / दर
दस करोड़ रुपये से कम या के बराबर	एक लाख रुपये (₹1,00,000/-) का सपाट प्रभार	पचास हजार रुपये (₹50,000/-) का सपाट प्रभार
दस करोड़ रुपये से अधिक, किंतु पाँच हजार करोड़ रुपये से कम या के बराबर	निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.1 प्रतिशत	निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.05 प्रतिशत
पाँच हजार करोड़ रुपये से अधिक	पाँच करोड़ रुपये (₹5,00,00,000/-) और पाँच हजार करोड़ रुपये (₹5000,00,00,000/-) से अधिक के निर्गम (इश्यू) के आकार के हिस्से का 0.025 प्रतिशत	दो करोड़ पचास लाख रुपये (₹2,50,00,000/-) और पाँच हजार करोड़ रुपये (₹5000,00,00,000/-) से अधिक के निर्गम (इश्यू) के आकार के हिस्से का 0.0125 प्रतिशत

(ii) उप-खंड (ख) में दी हुई सारणी निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,—

निर्गम (इश्यू) का आकार [जिसमें अति-अभिदान (ओवर सब्सक्रिप्शन) का वह हिस्सा भी शामिल है जितना रखे जाने का इरादा हो]	पहली बार फाइल करने (फ्रेश फाइलिंग) हेतु फीस की रकम / दर	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अभिमत पत्र (संप्रेक्षण पत्र / ऑब्जर्वेशन लेटर) की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर फाइल करने हेतु फीस की रकम / दर
दस करोड़ रुपये से कम या के बराबर	पचास हजार रुपये (₹50,000/-) का सपाट प्रभार	पच्चीस हजार रुपये (₹25,000/-) का सपाट प्रभार
दस करोड़ रुपये से अधिक	निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.05 प्रतिशत	निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.025 प्रतिशत

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./584/18]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd March, 2019

Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2019

No. SEBI/L.A.D.-N.R.O./G.N./2019/03.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely, -

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2019.

2. They shall come into force with effect from April 01, 2019.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992,-

(i) in Schedule V, in Part B relating to CHARGE OF FEES, in clause 3 in sub-clause (1), the table shall be substituted with the following, namely,-

Segment	Rate / Amount (in ₹)			Remarks
	Stock Broker	Clearing member	Self-clearing member	
Cash	0.00010 per cent of his turnover (₹ 10 per crore)	*	*	All sale and purchase transactions in securities other than debt securities.
Equity derivatives	0.00010 per cent of his turnover (₹ 10 per crore)	50,000/-	50,000/-	Explanation.— (A) The expression 'turnover' shall include the value of the trades executed by the stock broker on the concerned segment of the recognized stock exchange and of the trades settled on the expiration of the contracts. (B) In case of options contracts, 'turnover' shall be computed on the basis of premium traded for the option contracts and in case where the option is exercised or assigned, it shall be additionally computed on the basis of notional value of option contracts exercised or assigned.
Currency derivatives	0.00010 per cent of his turnover (₹ 10 per crore)	50,000/-	50,000/-	
Interest rate derivatives	0.00005 per cent of his turnover (₹ 5 per crore)	50,000/-	50,000/-	
Commodity derivatives	0.00010 per cent of his turnover (₹ 10 per crore)	50,000/-	50,000/-	Explanation.— [(A)] The expression 'turnover' shall include the value of the trades executed by the stock broker on the concerned recognized stock exchange and of the trades settled on the expiration of the contracts. [(B) In case of options contracts, 'turnover' shall be computed on the basis of premium traded for the option
Agricultural commodity derivatives	0.00001 per cent of his turnover (₹ 1 per crore)			

				contracts and in case where the option is exercised or assigned, it shall be additionally computed on the basis of notional value of option contracts exercised or assigned.]
Debt	0.00002 per cent of his turnover (₹ 2 per crore) Explanation.— For the purpose of this clause, the expression 'turnover' shall include the aggregate value of the trades executed, including both sale and purchase transactions, by the stock broker including the proprietary trading member on the debts segment of the recognized stock exchange.	50,000/-	50,000/-	The fee shall not be applicable for clearing member or self-clearing member in case the said clearing member or self-clearing member is already a clearing member or self-clearing member in any other segment and is paying fee, as specified in this Part, for such segment.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006

4. In the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006,-

- (i) in regulation 4, in sub-regulation (1), in the table, Sl. No. 5 shall be substituted with the following, namely,-

Sl. No. (1)	Annual Turnover (Rupees in crores) (2)	Amount of fee (Rs.) (3)
5.	More than 10,00,000	₹ 1,00,00,000 plus 0.000012 per cent of the annual turnover in excess of ₹ 10,00,000 crores

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

5. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, in Schedule III, in clause (2),-

- (i) in sub-clause (a), the table shall be substituted with the following, namely,-

Size of the issue, including intended retention of oversubscription	Amount / Rate of fees for fresh filing	Amount / Rate of fees for filing within one year after expiry of SEBI Observation letter
Less than or equal to ten crore rupees.	A flat charge of one lakh rupees (₹1,00,000/-).	A flat charge of fifty thousand rupees (₹50,000/-).
More than ten crore rupees, but less than or equal to five thousand crore rupees.	0.1 per cent of the issue size.	0.05 per cent of the issue size.
More than five thousand crore rupees.	Five crore rupees (₹5,00,00,000/-) plus 0.025 per cent of the portion of the issue size in excess of five thousand crore rupees (₹5000,00,00,000/-).	Two crore fifty lakh rupees (₹2,50,00,000/-) plus 0.0125 per cent. of the portion of the issue size in excess of five thousand crore rupees (₹5000,00,00,000/-).

(ii) in sub-clause (b), the table shall be substituted with the following, namely,-

Size of the issue, including intended retention of oversubscription	Amount / Rate of fees for fresh filing	Amount / Rate of fees for filing within one year after expiry of SEBI Observation letter
Less than or equal to ten crore rupees	A flat charge of fifty thousand rupees (₹50,000/-).	A flat charge of twenty five thousand rupees (₹25,000/-).
More than ten crore rupees	0.05 per cent of the issue size.	0.025 per cent of the issue size.

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty//584/18]